उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांकः 3016/OA-390/22/2023 दिनांक 27.02.23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठा (मै0 जशोदा ईट उद्योग, ग्राम पुरदिलनगर, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस) का निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया।

अतः निरीक्षण आख्या, ईट भट्ठे के नवीनतम फोटोग्राफ एवं संलग्नकों के साथ पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निरीक्षण आख्या को मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 वी0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि–मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मै0 जशोदा ईट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 निम्वत् हैः–

1. Vide order dated 21.09.2022, notices were ordered to be issued to the respondents no 1 to 4. As per office report notices were duly served.
2. Reports have been filed by the UPPCB vide email dated 25.11.2022 and Response on behalf of State of Uttar Pradesh has been sent by Under Secretary. Environment, Forest & Climate Change Uttar Pradesh vide letter dated 13.12.2022.
3. Mr. Pradeep Misra, has appeared for the respondent no. 2 and Mr. S.A Zaidi and Ms. Mansi Chahal, Advocates have appeared for the respondent no. 4 (the Project Proponent) and they seek time to file their reply/response.
4. Reply/response on behalf of respondents no. 2 and 4 be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 17.03.2023

उक्त आदेश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री थान सिंह (फौजी) उपस्थित थें। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईट उद्योग के नाम से वर्ष 2020 में स्थापित किया गया है एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में फुकाई का कार्य बन्द पाया गया।
2. ईंट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है। पूर्व में ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग–03 मी0टन/दिन किया जाता है। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
3. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–40014421000054 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई के सन्दर्भ में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। निरीक्षणोपरान्त ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न पाये जाने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या–506 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईंट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–एच63515 /सी–4/सामान्य–II–756/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु पक्की चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–30 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईंट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा को दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है, जोकि वर्तमान निरीक्षण दिनांक को भी ईंट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया।

6. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01.03.2022 से किया जाना अवगत कराया गया, जिसे संचालन किये जाने पर कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया। अतः दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 5,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 5,37,500=00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिकवरी/जमा किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–3010 दिनांक 25.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को पत्र प्रेषित किया गया है।

7. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा परिसर में पूर्व की पथी हुई लगभग–9 लाख कच्ची ईंट भण्डारित है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा की ट्रेंच में लगभग–2.5 लाख पक्की ईंट भरी हुई पायी गयी।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(उपेन्द्र प्रसाद)
अवर अभियन्ता

(अजय कुमार)
सहा0पर्या0अभिय0

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance to order dated 19.01.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P. & Ors.

The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed an order dated 19.01.2023 in O.A. No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P. & Ors. The operative portion of order is as under:-

"*.........2. Reports have been filed by the UPPCB vide email dated 25.11.2022 and Response on behalf of State of Uttar Pradesh has been sent by Under Secretary. Environment, Forest & Climate Change Uttar Pradesh vide letter dated 13.12.2022.*

3. Mr. Pradeep Misra, has appeared for the respondent no. 2 and Mr. S.A Zaidi and Ms. Mansi Chahal, Advocates have appeared for the respondent no. 4 (the Project Proponent) and they seek time to file their reply/response.

4. Reply/response on behalf of respondents no. 2 and 4 be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 17.03.2023."

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 07-07-2022 in O.A. No. 390/2022 Bunty Vs State of U.P. & Ors., the joint committee of the Officials of District Administration, Hathras and Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh visited the site on 01-09-2022. The inspection report and the action taken report was submitted to the Hon'ble, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi through E-mail dated 08-09-2022. The copy is enclosed as **Annexure-I**.

2. Since the Brick Kiln M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras was established without obtaining Consent to Establish (CTE) and was operating without valid Consent to Operate (CTO) from U.P. Pollution Control Board hence the closure order has been issued against the Brick Kiln vide letter No. H62624/C-4/Ent-528/Bandi/2021, dated 22-06-2021 U.P. Pollution Control Board under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The copy of the same was endorsed to the District Magistrate, Hathras, Mining Officer, Hathras & Upper Mukhya Adhikhari Jila Panchayat, District-Hathras for the ... Closure Order. The copy is enclosed as **Annexure-II**.

t was found the brick kiln was not in operation. The copy of inspection report is enclosed as **Annexure-III**.

4. The copy of the notice dated 30.09.2022 issued by the Consultant (Judicial) National Green Tribunal was served to the representative of **M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District- Hathras** by the officials of the **SDM, Hathras on 16.11.2022**.

5. The State Pollution Control Board vide letter no. **H83001/C-4/Ent528/BC/2022 dated 13.10.2022** has imposed Environmental compensation of **Rs. 5,37,500/- (Rs. Five Lac Thirty seven Thousand Five hundred only)** against **M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras**. The copy of letter enclosed as **Annexure-IV**.

6. The reminder letter has been sent by the Board on Dt. 18.11.2022 to **M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras** regarding deposition of the imposed Environmental Compensation. The copy of letter is enclosed as **Annexure-V**.

7. A letter has been sent to District Magistrate, Hathras by Regional Officer, UPPCB, Aligarh for recovery of the Environmental Compensation of Rs. 5,37,500/- **from the brick kiln** on 25.02.2023. The copy of the letter Dated 25.02.2023 is enclosed as **Annexure-VI**.

8. The latest inspection of M/s Yashoda Brick Kiln, Village Nagla Bari, Patti Devri, Hasayan, Post Purdilnagar, Tehsil Sikandra Rao, District- Hathras was done by the **Officials of Regional Office, U.P. State Pollution Control Board Aligarh on 23.02.2023** and during inspection it was found the **brick kiln was not in operation**. The copy of inspection report and Photographs are enclosed as **Annexure-VII**.

With reference to the Hon'ble NGT order dated 19-01-2023, the aforesaid response is being hereby filed.

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh.

मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम—पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील—सिकन्दराराऊ, जनपद—हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या—390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, हाथरस द्वारा गठित कमेटी दिनांक 26.08.2022 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का विस्तृत निरीक्षण आख्याः—

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—390/2022 बन्टी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 निम्वत् हैः—

- "In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB, and District Magistrate, Hathras. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
- The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
- List the matter for further consideration on 21.09.2022.
- A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Hathras by e-mail for requisite.

उक्त आदेश के अनुकम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.09.2022 को किया गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश कुमार, चौकीदार उपस्थित थें। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः—

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईट उद्योग के नाम से वर्ष 2020 से श्री मोहित कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की स्थापना कार्य सितम्बर, 2020 में किया जाता हुआ पाया गया।
3. ईंट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग—20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग—3.0 मी0टन/दिन किया जाता है। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू—तल से लगभग—30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. सन्दर्भित ईंट भट्ठे के पूरव दिशा में विहारी का नगला लगभग—1.0 कि0मी0, पश्चिम दिशा में लगभग—70 मी0 की दूरी पर पुरदिलनगर, हसायन सम्पर्क मार्ग तत्पश्चात् उसी दिशा में लगभग—500 मी0 दूरी पर गैस एजेन्सी एवं उसी दिशा में लगभग—2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम—नगला बरी स्थित है। उत्तर दिशा में ग्राम—नगला उदिया लगभग—1.0 कि0मी0 तथा दक्षिण दिशा में लगभग—600 मी0 की दूरी पर माँ गंगा देवी महाविद्यालय एवं लगभग—800 मी0 की दूरी पर मूल चन्द्र महाविद्यालय एवं उसी दिशा में लगभग—1.0 मी0 की दूरी पर नगर पंचायत पुरदिलनगर स्थित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

7. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–40014421000054 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई के सन्दर्भ में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। निरीक्षणोपरान्त ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न पाये जाने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या–506 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईंट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–एच63515 /सी–4/सामान्य–II–756/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

8. मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.01.2021 को आनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या–118507 एवं 118508 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था।

9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु पक्की चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–30 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

10. ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर वाद मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जो इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2021 में प्राप्त हुआ था, के सम्बन्ध में आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–1152 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया।

11. ईंट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा को दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के बन्दी आदेश एवं प्रशासन द्वारा बन्दी आदेश के अनुक्रम में की गयी बन्दी की कार्यवाही दिनांक 12.04.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया।

12. बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच79862 दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–वायु अपील–09(1)/81–6–2022 दिनांक 04.08.2022 में ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध दायर अपील मै0 जशोदा ईंट उद्योग बनाम उ0प्र0 सरकार आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1248 दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से सन्दर्भित अपील की बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

13. ईंट भट्ठा द्वारा दायर अपील में बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 का उल्लेख किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा ईंट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, जारी 27 जून, 2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न होने के कारण दिनांक 22.06.2021 माध्यम से ईंट भट्ठे को भी बन्दी आदेश जारी किया गया है, उक्त दोनो आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

14. ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01.03.2022 से किया जाना अवगत कराया गया, जिसे संचालन किये जाने पर कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया। अतः दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 5,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)	06.09.2022 (सतीश कुमार)	(वेद सिंह चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)	खान अधिकारी	उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी सिकन्दराराऊ (हाथरस

Annexure-II

संलग्नक-2

41

संलग्नक-3

डाक प्राप्ति
दिनांक 26/6/21 समय
डायरी सं0 12749 फाइल नं0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 1168624 /सी–4/ईट–528/बंदी/2021 दिनांक 22-6-21

सेवा में,

मैसर्स जशोदा ईट उद्योग,
ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर,
तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद– हाथरस।

मैसर्स जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला वरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद– हाथरस द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट पथाई एवं पकाई प्रकिया द्वारा ईंटों का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 जशोदा ईट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद– हाथरस का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक–01.06.2021 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहित कुमार की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया एवं ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्ठे की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति स्थापनार्थ (एन0ओ0सी0) एवं सचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 14.09.2020 को किया गया था। निरीक्षण में ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं पाया गया था। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 918/ओजी–162/आई0जी0आर0एस0/2020 दिनांक 16.09.2020 द्वारा नोटिस प्रेषित की गयी थी।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक– 506/एचजे–37/2021 दिनांक–18.06.2021 के माध्यम से प्रेषित आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

ईट भट्ठे की स्थापना हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ईट पथाई एवं ईट फुकाई हेतु राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अंतर्गत सहमति (जल) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अंतर्गत सहमति (वायु) प्राप्त नही की गयी है तथा अवैध रूप से ईट पथाई एवं ईट फुकाई कार्य किया जाता है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रख्यापित प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद– हाथरस के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत निम्नवत् बंदी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 अतः मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद– हाथरस की ईंट उत्पादन प्रकिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि ईंट भट्ठा मै0 अतः मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसासन, पो0–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस को मिलने वाली सुविधा जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत द्वारा निर्गत लाइसेंस अथवा अनुमति आदि को निरस्त/बंद कर दिया जाये।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया ईंट उत्पादन प्रकियाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कराने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी खनन, जनपद– हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायें।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद– हाथरस को इस आशय के साथ कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठें को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या एवं ईंट भट्ठे के अवैध संचालन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आंकलित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

10

संलग्नक-3 43

मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के सम्बन्ध में प्रेषित नोटिस दिनांक 30.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं अनुश्रवण सहायक एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस के अमीन संग्रह के साथ दिनांक 16.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय उक्त ईंट भट्ठे का संचालन पूर्व में बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 एवं 22.06.2021 के अनुपालन में पूर्णत बन्द पाया गया।
2. पूर्व में ईंट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता था।
3. पूर्व में ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग–03 मी0टन/दिन किया जाता था। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु स्थापनार्थ सहमति निर्गत नहीं किया गया है।
5. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500/– अधिरोपित की गयी है।
6. उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, हाथरस द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 01.09.2022 को ईंट भट्ठे का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की ई–मेल पर प्रेषित की जा चुकी है। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न है।
7. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में जारी नोटिस दिनांक 30.09.2022 को इस कार्यालय एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस के कार्मिकों के द्वारा दिनांक 16.11.2022 को ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के प्रोपराइटर श्री मोहित कुमार जनपद–हाथरस से बाहर होने के कारण उनके भाई श्री राहुल कुमार को उपजिलाधिकारी, तहसील–सिकन्दराराऊ, हाथरस के अधीन संग्रह अमीनों के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करा दिया गया है। पावती एवं पावती कराते समय फोटोग्राफ की प्रति संलग्न है।

उक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

21/11/22
(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

UPPCB

पंजीकृत 13-10-22

दिनांक :

पत्रांक : 1183001 / सी–4 / ईट–528 / पर्या0क्षति0 / 2022,

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 21/10/22
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

सेवा में,

मै0 जशोदा ईंट उद्योग,
ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ,
जनपद–हाथरस।

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति स्थापनार्थ (एन0ओ0सी0) एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस की स्थापना/संचालन कर लिये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक एच62624/सी–4/ईंट–528/बंदी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं H63515/C-4/Gen-II-756/Closure/2021 दिनांक 16.07.2021 द्वारा ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिल नगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध वायु (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 01.09.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठ (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में उक्त ईंट भट्ठे को नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। दिनांक 01.09.2022 को किये गये निरीक्षण के समय प्रश्नगत ईंट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.03.2022 से किया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्रांक 1334/एचजे–37/2022 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईंट भट्ठे के विरूद्ध ईंट भट्टा संचालन के प्रथम दिवस दिनांक 01.03.2022 से प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से बन्द कराये जाने के दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 5,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 05.09.2022 के अनुक्रम में मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 का उल्लंघ कर अवैध रूप से किये गये संचालन के दृष्टिगत प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 5,37,500/– (रूपये पॉच लाख, सैतीस हजार, पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 5,37,500/– (रूपये पॉच लाख, सैतीस हजार, पॉच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

AE/E 21-10-22

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

संलग्नक-5 45

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

दिनांक 18.11.2022

पत्रांकः 1932/H-J-37/2022

सेवा में,

मै0 जशोदा ईंट उद्योग,
ग्राम–पुरदिलनगर हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ,
जनपद–हाथरस।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500=00 अधिरोपित करते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना था। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा आज दिनांक तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने की कोई सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड मुख्यालय स्तर से आपको जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नोटिस दिनांक 13.10.2022 में उल्लेखित धनराशि रू0 5,37,500=00 को पत्र में उल्लेखित बैंक खातें में यथाशीघ्र जमा करके साक्ष्य बोर्ड मुख्यालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

O/C

M/s Jasoda Ent Udhyog. Puradilnagar

13

संलग्नक-6 46

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

UPPCB
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3010/OA-390/22/2023 दिनांक 25.02.23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हाथरस।

विषयः–मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली/जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठा मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500=00 अधिरोपित की गयी है। उक्त ईंट भट्ठा द्वारा अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,37,500=00 जमा नहीं किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर सुनवाई की जा रही है।

उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय से जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिनांक 13.10.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 5,37,500=00 को भू–राजस्व वसूली की धारा के अनुरूप वसूली करने एवं वसूली की गयी धनराशि को उक्त पत्र में उल्लेखित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैक खाता संख्या–701502010002104 IFSC Code-UBINO570150 में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में भू–राजस्व विभाग/उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Phone & Fax : 0571 2743521

मै0 जशोदा ईंट उद्योग, ग्राम–पुरदिलनगर, हसायन रोड, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे की निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–390/2022 बन्टी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 निम्वत् हैः–

1. Vide order dated 21.09.2022, notices were ordered to be issued to the respondents no 1 to 4. As per office report notices were duly served.
2. Reports have been filed by the UPPCB vide email dated 25.11.2022 and Response on behalf of State of Uttar Pradesh has been sent by Under Secretary. Environment, Forest & Climate Change Uttar Pradesh vide letter dated 13.12.2022.
3. Mr. Pradeep Misra, has appeared for the respondent no. 2 and Mr. S.A Zaidi and Ms. Mansi Chahal, Advocates have appeared for the respondent no. 4 (the Project Proponent) and they seek time to file their reply/response.
4. Reply/response on behalf of respondents no. 2 and 4 be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 17.03.2023

उक्त आदेश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को कियां गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री थान सिंह (फौजी) उपस्थित थें। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 जशोदा ईट उद्योग के नाम से वर्ष 2020 में स्थापित किया गया है एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे में फुकाई का कार्य बन्द पाया गया।
2. ईट भट्ठा द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है। पूर्व में ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग–03 मी0टन/दिन किया जाता है। कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
3. मै0 जशोदा ईट उद्योग, ग्राम–नगला बरी, पट्टी देवरी, हसायन, पोस्ट–पुरदिलनगर, तहसील–सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–40014421000054 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई के सन्दर्भ में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.01.2021 को किया गया था। निरीक्षणोपरान्त ईट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप न पाये जाने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या–506 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच62624/सी–4/ईंट–528/बन्दी/2021 दिनांक 22.06.2021 एवं पत्र संख्या–एच63515 /सी–4/सामान्य–II–756/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है।
4. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु पक्की चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–30 मी0 पायी गयी है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईंट भट्ठा को कार्यालय उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठा को दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में नायब तहसीलदार एवं पुलिस के साथ पूर्णतः बन्द करा दिया गया है, जोकि वर्तमान निरीक्षण दिनांक को भी ईंट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया।

6. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश प्रभावीं होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 01.03.2022 से किया जाना अवगत कराया गया, जिसे संचालन किये जाने पर कार्यालय, उपजिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, हाथरस द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया। अतः दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 12.04.2022 तक कुल 43 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 5,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1334 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83001 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 5,37,500=00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिकवरी/जमा किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–3010 दिनांक 25.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को पत्र प्रेषित किया गया है।
7. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा परिसर में पूर्व की पथी हुई लगभग–9 लाख कच्ची ईंट भण्डारित है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा की ट्रेंच में लगभग–2.5 लाख पक्की ईंट भरी हुई पायी गयी।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(उपेन्द्र प्रसाद)
अवर अभियन्ता

(अजय कुमार)
सहा0पर्या0अभिय0

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

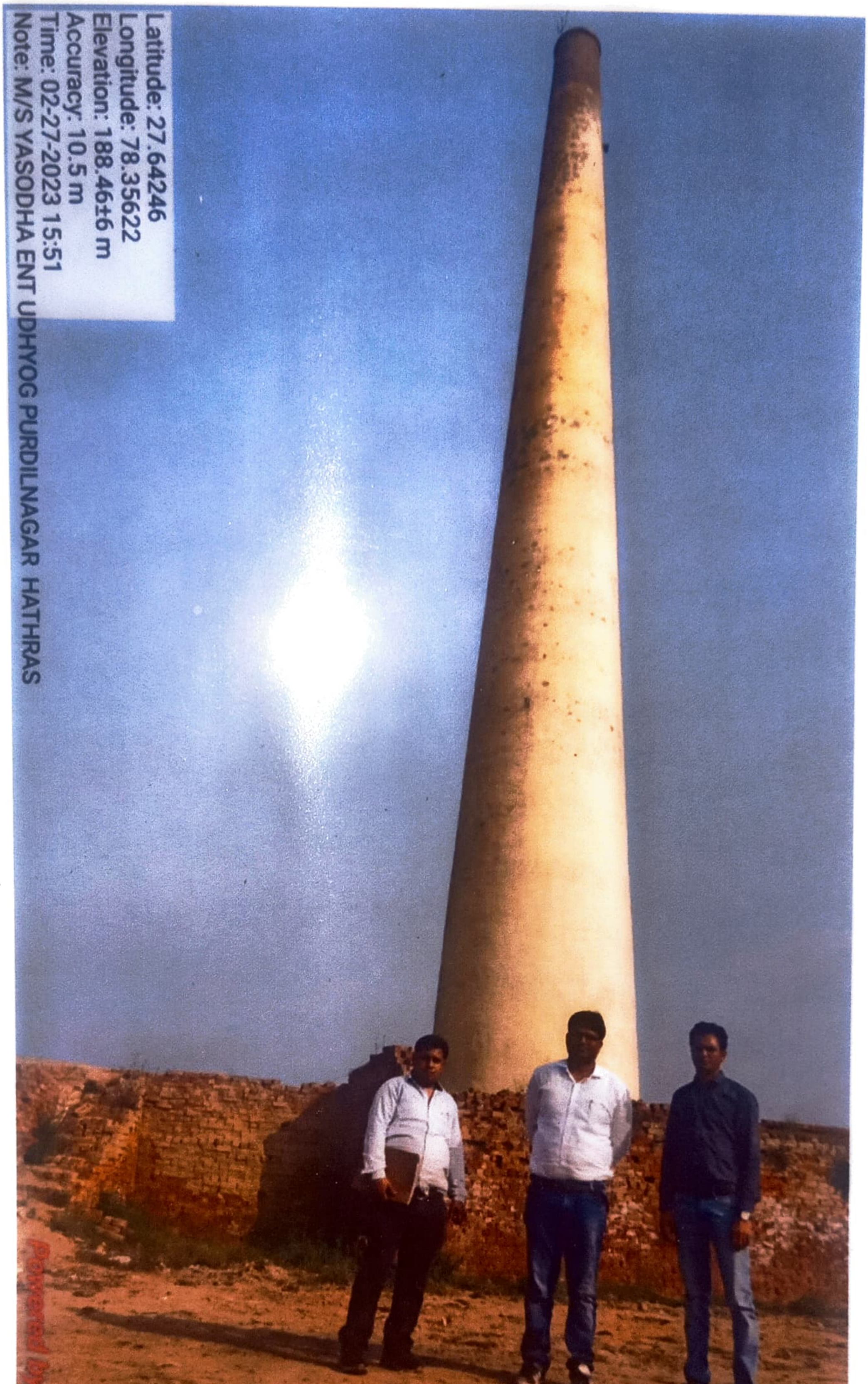
Latitude: 27.64246
Longitude: 78.35622
Elevation: 188.46±6 m
Accuracy: 10.5 m
Time: 02-27-2023 15:51
Note: M/S YASODHA ENT UDHYOG PURDILNAGAR HATHRAS

Latitude: 27.6424474
Longitude: 78.356222
Elevation: 190.48±4 m
Accuracy: 3.9 m
Time: 02-27-2023 15:49
Note: M/S YASODHA ENT UDHYOG PURDILNAGAR HATHRAS
Powered by NoteCam

Latitude: 27.642578
Longitude: 78.356232
Elevation: 188.43±5 m
Accuracy: 25.4 m
Time: 02-27-2023 15:52
Note: M/S YASODHA ENT UDHYOG PURDILNAGAR HATHRAS